वाणिज्य अ.ज.– 522

अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

(वाणिज्य शाखा)

क्र./अ.वि.वि.नि.लि./मु.अ.(वाणिज्य)/अ.अ.–II/2012.13/प्रे. 22 दिनांक : 1-4-2013.

स्पष्टीकरण आदेश

विषयः– आबादी क्षेत्र में कनेक्शन देने बाबत्(कृषि कनेक्शन के अलावा)।

क्षेत्र अधिकारियों द्वारा संदेह किया गया है कि परिसर जहां आवेदक के पास स्थानीय निकाय अथवा अन्य किसी सरकारी अधिकारी द्वारा जारी पट्टा नही है उससे स्वामित्व के सबूत के समर्थन में क्या दस्तावेज लिए जाएं।

विद्युत आपूर्ति हेतु शर्ते एवं निबंधन 2004 में निर्धारित "पूर्ण किए गए आवेदन पत्र की जांच सूची" प्रावधानों के अनुसार निम्न दस्तावेजों में से किसी एक दस्तावेज को परिसर के स्वामित्व के सबूत के समर्थन में प्रस्तुत किया जा सकता है।

(1) शीर्षक विलेख रजिस्ट्री।
(2) स्थानीय निकाय या किसी अन्य सरकारी प्राधिकरण जैसे रीको, उद्योग विभाग द्वारा जारी आवंटन/कब्जा पत्र।
(3) ग्रामीण क्षेत्रों में राजस्व प्राधिकारियों द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र।
(4) वंधक विलेख
(5) पट्टा
(6) विक्रय विलेख
(7) आवंटन पत्र
(8) न्यायालय आदेश
(9) कोई अन्य प्रलेख

उपरोक्त के संदर्भ में यह स्पष्ट किया जाता है कि स्वामित्व के सबूत के समर्थन के मामले में आवेदक के पास परिसर का पट्टा नहीं होने की स्थिति में उसे इसके लिए बाध्य नही किया जाए और परिसर के स्वामित्व के समर्थन के रूप में एक हलफनामा, विधिवत् नोटेरी द्वारा प्रमाणित और राजस्व प्राधिकारी/ग्राम सेवक से सत्यापित लिया जावे ताकि आवेदक विद्युत कनेक्शन से वंचित नहीं रह सके।

आज्ञा से,

(जी.आर. चौधरी)
मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य)

XEN (IT) / Sh Sunil

d./XEN-II/Comml. Order hindi

R.R No. 127 Dt 22 30/4/13
S.E. (IT) A.V.V.N.L., Ajmer

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. मुख्य अभियन्ता (परि.एवं संधारण), अजमेर डिस्कॉम, अजमेर।
2. सम्भागीय मुख्य अभियन्ता (परि.एवं संधारण), अजमेर डिस्कॉम, उदयपुर/झूझंनू।
3. मुख्य लेखा अधिकारी (लेखा/अंकेक्षण/राजस्व), अजमेर डिस्कॉम, अजमेर।
4. सचिव (प्रशासन), अजमेर डिस्कॉम, अजमेर।
5. अधीक्षण अभियन्ता (परि.एवं संधारण), अजमेर डिस्कॉम........................को अतिरिक्त................ प्रतिलिपियॉं अधीनस्थ अधिकारियों को वितरण करने हेतु।
6. अधीक्षण अभियन्ता (मीटर्स/प्लान/एम.एम/आर.डी.पी.पी.सी./आई.टी.), अजमेर डिस्कॉम, अजमेर / उदयपुर / जयपुर।
7. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (सतर्कता), अजमेर डिस्कॉम, अजमेर।
8. कम्पनी सचिव, अजमेर डिस्कॉम, अजमेर।
9. श्री पी.एन. भंडारी, आई.ए.एस. (रिटल), जयपुर ।
10. श्री डी.एस. अग्रवाल, रूद्राक्ष एनर्जी, जयपुर ।
11. डॉ. के. एल. जैन, सचिव ;भ्वदवतंतलद्ध , जयपुर ।
12. सचिव जनरल उपभोक्ता यूनिटी एवं टस्ट सोसाइटी , जयपुर ।
13. मुख्य विद्युत (जनरल) अभियन्ता, नार्थ वेस्ट रेल्वे, जयपुर ।
14. राजस्थान विद्युत विकास संस्थान, जयपुर ।
15. अधिशाषी अभियन्ता,( ), अजमेर डिस्कॉम..............................
16. वरिष्ठ लेखाधिकारी,( ), अजमेर डिस्कॉम..............................
17. जन सम्पर्क अधिकारी, अजमेर डिस्कॉम, अजमेर।
18. प्रभारी, विधि विभाग, अजमेर डिस्कॉम, अजमेर।
19. प्रावेधिक सहायक, प्रंबध निदेशक, अजमेर डिस्कॉम, अजमेर।
20. निजी सहायक, अध्यक्ष, डिस्कॉम्स्, जयपुर।
21. निजी सहायक, प्रबंध निदेशक, जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
22. निजी सहायक, निर्देशक (वित्त/तकनीकी), अजमेर डिस्कॉम, अजमेर।
23. निजी सहायक, विद्युत लोकपाल, राजस्थान सरकार, सहकार मार्ग, जयपुर।

मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य)